

## ॥ कार्यालय जनपद न्यायाधीश पौड़ी गढ़वाल ॥

**स्थाई आदेश सं० ०२/२०२३**

**दिनांक १० मई, २०२३**

माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल के पत्र संख्या-2231/UHC/Admin B/V-a-1/2023 दिनांकित 10.05.2023 के अनुपालन में एवं इसमें सन्दर्भित एम.ए.नं० 859/2020 SLP(C) नं० 5440/2020 जिला बार एसोसियेशन देहरादून बनाम ईश्वर शान्दिल्य आदि में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.04.2023 के परिपालन में जजशिप पौड़ी गढ़वाल में निम्न प्रकार से "Grievance Redressal Committee" का गठन किया जाता है ।

- 1- जिला जज पौड़ी गढ़वाल- अध्यक्ष
- 2- अपर जिला जज कोटद्वार
- 3- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पौड़ी गढ़वाल ।
- 4- अध्यक्ष, जिला बार एसोसियेशन पौड़ी गढ़वाल एवं प्रकरण बाह्य न्यायालयों से संबंधित होने पर अध्यक्ष बार एसोसियेशन कोटद्वार/श्रीनगर/लैन्सडाउन/धुमाकोट ।



(आशीष नैथानी)  
जनपद न्यायाधीश  
पौड़ी गढ़वाल

पत्रांक सं०/2023 दिनांक मई 10 2023  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित ।

1. अपर जिला जज कोटद्वार ।
2. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पौड़ी गढ़वाल ।
3. अध्यक्ष बार एसोसियेशन पौड़ी/श्रीनगर/कोटद्वार/लैन्सडाउन/धुमाकोट ।
4. नोटिस बोर्ड ।
5. सिस्टम अधिकारी/सिस्टम असिस्टेंट जिला जज पौड़ी गढ़वाल को इस आशय से प्रेषित कि वह ऑफिसियल वेबसाइट में उक्त सूचना को अपडेट करना सुनिश्चित करें ।
6. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से

*devo*  
10/05/2023  
Sr. Administrative Officer  
District Judge's Court  
Pauri Garhwal